



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

प्र०कं०- /16 पुनरीक्षण याचिका

निज-3325-II-K

एस. पी. शर्मा एड.
26/09/2016

26-9-16

26-9-16

(1) दिनेश कुमार पुत्र स्व० श्री मनीराम गुप्ता जाति वैश्य
आयु 58 वर्ष पेशा नौकरी कृषक ग्राम बगेधरी अब्बल
निवासी करैरा जिला शिवपुरी म०प्र०

(2) उमेश कुमार पुत्र स्व० श्री मनीराम गुप्ता जाति वैश्य
आयु 55 वर्ष पेशा नौकरी कृषक ग्राम बगेधरी अब्बल
निवासी करैरा तहसील करैरा जिला शिवपुरी म०प्र०.....

.....आवेदकगण

बनाम

(1) भगवानदास पुत्र पन्नालाल जाटव जाति जाटव निवासी
ग्राम बगेधरी अब्बल तहसील करैरा जिला शिवपुरी म०प्र०

(2) म० प्र० शासन द्वारा श्रीमान तहसीलदार महोदय
तहसील करैरा जिला शिवपुरी म०प्र०.....अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका (निगरानी) अर्न्तगत धारा-50 म०प्र०भू०रा०सं० विरुद्ध
प्र०कं०-149/15-16 अ-12 आदेश दिनांक 23-06-16 न्यायालय श्रीमान
तहसीलदार करैरा के विरुद्ध

श्रीमान जी ,

3

श्रीमान जी
26-9-16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक- निगरानी- 3325-दो/2016

जिला-शिवपुरी

दिनेश कुमार व अन्य विरुद्ध भगवानदास व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-05-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एस.पी. धाकड़ उपस्थित ।</p> <p>3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार करैरा, जिला-शिवपुरी, के प्रकरण क्रमांक 149/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 23-06-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई थी।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी करैरा, जिला-शिवपुरी को दिये गये हैं ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 10-07-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये</p>	<p>(आर.के. जैन)</p> <p>सदस्य 15/5/19</p>